[2019] 2 उम. नि. प. 253

भारत संघ और एक अन्य

बनाम

वी. आर. त्रिपाठी

11 दिसम्बर, 2018

न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 और 14 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16] – अवसर की समानता – अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति – चूंकि किसी शून्य विवाह से जन्म लेने वाला बालक धर्मज होता है इसलिए उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की ईप्सा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित स्कीम या नियम विरचित करते समय राज्य ऐसी शर्त अधिकथित नहीं कर सकता है जो अनुच्छेद 14 से असंगत हो ।

प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी का पिता सेंट्रल रेलवे में नियोजित था । उसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई । मृतक कर्मचारी ने अपने प्रथम विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान दूसरा विवाह कर लिया था । प्रत्यर्थी कर्मचारी के दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र है । ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा विवाह वर्ष 1987 में किया गया था । प्रत्यर्थी ने अपने पिता की मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया । वह आवेदन रेल प्राधिकारियों द्वारा नामंजूर कर दिया गया था । प्रत्यर्थी ने, अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने के कारण व्यथित होकर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन फाइल किया । चूंकि अधिकरण ने प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया था इसलिए पुनर्विलोकन की ईप्सा करने संबंधी याचिका के खारिज हो जाने पर, भारत संघ और रेल प्राधिकारियों ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाहियां संस्थित कीं । अपीलार्थियों ने, रिट याचिका के समर्थन में रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र का अवलंब लिया ।

उस परिपत्र में यह कहा गया था कि ऐसे रेल कर्मचारियों की दशा में जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और जो अपने पीछे दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाली संतान सहित एक से अधिक विधवा को छोड़ जाते हैं, जबकि परिनिर्धारण देयों को न्यायालय के आदेशों के कारण या अन्यथा प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, दोनों विधवाओं में विभाजित किया जा सकता है किन्तु दूसरी विधवा और उसकी संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां देने के संबंध में तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रशासन ने विशेष परिस्थितियों में स्वीय विधि आदि को ध्यान में रखते हुए, दूसरे विवाह की अनुज्ञा प्रदान न कर दी हो । इस तथ्य को कि दूसरा विवाह अनुज्ञेय नहीं है, आरंभिक नियुक्ति की प्रस्थापना में दिए गए निबंधनों और शर्तों में निरपवाद रूप से स्पष्ट किया गया है । इस बात को ध्यान में रखा जाए और दूसरी विधवा या उसके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित मामले रेल बोर्ड को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है । उच्च न्यायालय ने, प्रमुख रूप से इन आधारों पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की राय से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाया कि – (क) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में ऐसे विवाह से, जो कि धारा 11 के उपबंधों के अधीन अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाले बालक के धर्मजत्व को माना गया है, (ख) रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया है, और (ग) उच्चतम न्यायालय के एक विनिश्चय में किसी मृत कर्मचारी के पेंशनिक फायदों पर उसके कुटुम्ब की हकदारी को इस तथ्य के होते हुए भी कायम रखा गया है कि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान दूसरा विवाह कर लिया था । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की नीति सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आधारित है । किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब वित्तीय परेशानी और आवश्यकता

की स्थिति में आ जाता है । अनुकंपा नियुक्ति, उस परेशानी का शमन करने के लिए आशयित है जो मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की समयपूर्व मृत्यु होने के कारण झेलनी पड़ती है । दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति मात्र पितृत्व या वंश पर आधारित नहीं होती है क्योंकि लोक नियोजन सदैव संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता से संगत होना चाहिए । अतः, इससे पूर्व कि किसी मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर जोर दिया जाए या राज्य द्वारा वह नियुक्ति प्रदान की जाए, नियोजक के पास ऐसे नियम या ऐसी कोई स्कीम अवश्य होनी चाहिए जिसमें ऐसी नियुक्ति प्रकल्पित हो । इसी अर्थ में यह विधि का एक अतिसामान्य सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है । जहां अनुकंपा नियुक्ति की कोई स्कीम हो वहां भी नियोजन संबंधी आवेदन पर केवल नियमों या स्कीम की शर्तों के अनुसार और उन्हें पूरा करने के अधीन रहते हुए विचार किया जा सकता है । विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा भारत संघ की ओर से जिस दलील पर जोर दिया गया है वह इस बात पर आधारित है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है । इस सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं है किन्तु जहां इसकी परिकल्पना करने वाली स्कीम या नियम विद्यमान हैं वहां वह उन उपबंधों के अनुसार विचार में ली जाने वाली केवल एक हकदारी है । (पैरा 11)

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (1) में विधान-मंडल ने यह अनुबंध किया है कि ऐसे किसी विवाह से, जो कि धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाला बालक इस बात को ध्यान में रखे बिना भी धर्मज है कि क्या उसका जन्म 1976 के संशोधनकारी अधिनियम सं. 68 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ है । ऐसे विवाह से, जो कि अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाले किसी बालक की धर्मजता लोक नीति का विषय है जिससे कि ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को अधर्मजता के परिणामों की पीड़ा से संरक्षित किया जा सके । अतः, यद्यपि कोई विवाह अकृत और शून्य हो

सकता है तथापि, ऐसे विवाह से जन्म लेने वाला बालक धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा धर्मज माना जाता है । धारा 5 के खंड (i) के साथ पठित धारा 11 के अधीन वह एक आधार जिस पर किसी विवाह को अकृत और शून्य माना जाता है, यह है कि विवाह तब किया गया है जब विवाह के समय पक्षकारों में से एक पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था/थी । अतः, किसी हिन्दू द्वारा प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान किया गया दूसरा विवाह अकृत और शून्य होता है । तथापि, विधान-मंडल ने ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले किसी बालक की धर्मजता को संरक्षा प्रदान करने के लिए धारा 16(1) को अधिनियमित करके एक पहल की है । तथापि, धारा 16 की उपधारा (3) में यह अनुबंधित है कि ऐसे बालक का, जिसका ऐसे विवाह से जन्म हुआ है जो कि अकृत और शून्य है, केवल माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा और माता-पिता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा । (पैरा 13)

प्रश्न यह है कि क्या कोई नियोजक, जो कि संविधान के भाग 3 के अधीन आता है, अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा फायदा प्रदान करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि अन्य धर्मज बालकों को उपलब्ध है । निस्संदेह, राज्य अनुकंपा नियुक्ति की नीति तैयार करते समय उन निबंधनों को विहित कर सकता है जिनके आधार पर यह नियुक्ति प्रदान की जा सकती है । तथापि, राज्य स्कीम या नियम बनाते समय ऐसी कोई शर्त अधिकथित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से असंगत है । अनुकंपा नियुक्ति का प्रयोजन मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को अकिंचनता और दरिद्रता से बचाना है । इस परिपत्र का आशय यह है कि ऐसी अकिंचनता के होते हुए भी, जिसका सामना मृत कर्मचारी के दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को करना पड़ सकता है, अनुकंपा नियुक्ति से तब तक इनकार किया जाना है जब तक कि दूसरा विवाह प्रशासन की अनुज्ञा से न हुआ हो । जब हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में ऐसे विवाह से, जो कि तब हुआ हो जब कि पूर्ववर्ती विवाह अस्तित्व में है, जन्म लेने वाले बालक को धर्मज समझा गया है तब राज्य अनुच्छेद 14 के अनुरूप ऐसे

बालक को अनुकंपा नियुक्ति के फायदे की ईप्सा करने से अपवर्जित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा । अपवर्जन संबंधी ऐसी शर्त मनमानी और अधिकारातीत है । भले ही, यदि संकीर्ण वर्गीकरण की कसौटी लागू की जाए, तो भी रेल बोर्ड का परिपत्र धर्मज बालकों के एक वर्ग के बीच दो प्रवर्ग सृजित करता है । यद्यपि किसी दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को विधि के अधीन धर्मज समझा गया है तथापि, किसी मृत कर्मचारी के प्रथम विवाह से जन्म लेने वाले बालक को ही अनुकंपा नियुक्ति के फायदे का हकदार बनाया गया है । अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित कल्याणकारी प्रयोजन में, जो कि किसी मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को अकिंचनता और दरिद्रता से बचाना है, यह अपेक्षित है कि जो अनुबंध या शर्त अधिरोपित की जाती है उसका उस उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध अवश्य होना चाहिए, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । (पैरा 14 और 15)

प्रत्यर्थी की ओर से जिस दलील पर जोर दिया गया है, उस पर विचार करना आवश्यक होगा कि जब एक बार कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को अभिखंडित कर दिया गया है और जिसे स्वीकार कर लिया गया था और जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है तब रेल प्राधिकारी इसके पश्चात् उसी परिपत्र का, जिसका संपूर्ण भारत में बल और प्रभाव है, अवलंब लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं । इस दलील में सार है । अतः रेल बोर्ड की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के विनिश्चय के पश्चात् भी, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, तारीख 3 अप्रैल, 2013 को नया परिपत्र जारी करना अनुचित है जिसमें तारीख 2 जनवरी, 1992 के पूर्ववर्ती परिपत्र के निबंधनों को दोहराया गया है । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	2017 लेबर आई. सी. (एन.ओ.सी. 237) 69 : **भारत संघ** बनाम **एम. करुमबाई** ;	18
[2016]	(2016) 5 सी. टी. सी. 50 : **एम. मुथुराज** बनाम **पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु** ;	18

[2013] (2013) 3 कलकत्ता ला टाइम्स 379 :
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम **दिलीप सिंह** ; 17

[2010] (2010) 11 एस. सी. सी. 661 :
भारतीय स्टेट बैंक बनाम **राज कुमार** ; 10

[2010] (2010) 1 कलकत्ता ला जर्नल 464 : 5, 8, 17,
नमिता गोलदार बनाम **भारत संघ** ; 18, 20

[2008] (2008) 13 एस. सी. सी. 730 :
वी. शिवमूर्ति बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ; 10

[2000] (2000) 2 एस. सी. सी. 431 :
रामेश्वरी देवी बनाम **बिहार राज्य** ; 5, 16

[1998] (1998) 5 एस. सी. सी. 192 :
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाम **पुष्पेन्द्र कुमार** । 10

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 12015 और 12016.

2015 की रिट याचिका सं. 910 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 1 अप्रैल, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री अमन लेखी, अपर महासालिसिटर, हरीश पांडेय, (श्रीमती) अनिल कटियार और मुकेश कुमार मरोड़िया

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अर्जुन सिंह भाटी और अपूर्व पराशर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चन्द्रचूड़ –

2018 की सिविल अपील सं. 12015

इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील बम्बई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के तारीख 1 अप्रैल, 2016 के निर्णय से उद्भूत हुई है ।

3. प्रत्यर्थी का पिता रामलखन त्रिपाठी सेंट्रल रेलवे में मुम्बई में टैक्निशियन, ग्रेड-1 के रूप में नियोजित था । उसकी 28 नवम्बर, 2009 को सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई । मृतक कर्मचारी ने अपने प्रथम विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान दूसरा विवाह कर लिया था । प्रत्यर्थी कर्मचारी के दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र है । ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा विवाह वर्ष 1987 में किया गया था । प्रत्यर्थी ने अपने पिता की मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया । वह आवेदन रेल प्राधिकारियों द्वारा तारीख 6 मार्च, 2012 को नामंजूर कर दिया गया था । प्रत्यर्थी ने, अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने के कारण व्यथित होकर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन फाइल किया । चूंकि अधिकरण ने प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया था इसलिए पुनर्विलोकन की ईप्सा करने संबंधी याचिका के खारिज हो जाने पर, भारत संघ और रेल प्राधिकारियों ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाहियां संस्थित कीं ।

4. अपीलार्थियों ने, रिट याचिका के समर्थन में रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र का अवलंब लिया । उक्त परिपत्र नीचे उद्धृत किया गया है :–

"भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)

1992 का आर.बी.ई. सं. 1
मास्टर परिपत्र का अनुपूरक परिपत्र सं. 5

महाप्रबंधक (पी)
सेंट्रल रेलवे और अन्य

विषय : दूसरी विधवा और उसके आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे रेल कर्मचारियों की दशा में

जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और जो अपने पीछे दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाली संतान सहित एक से अधिक विधवा को छोड़ जाते हैं, जबकि परिनिर्धारण देयों को न्यायालय के आदेशों के कारण या अन्यथा प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, दोनों विधवाओं में विभाजित किया जा सकता है किन्तु दूसरी विधवा और उसकी संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां देने के संबंध में तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रशासन ने विशेष परिस्थितियों में स्वीय विधि आदि को ध्यान में रखते हुए, दूसरे विवाह की अनुज्ञा प्रदान न कर दी हो ।

2. इस तथ्य को कि दूसरा विवाह अनुज्ञेय नहीं है, आरंभिक नियुक्ति की प्रस्थापना में दिए गए निबंधनों और शर्तों में निरपवाद रूप से स्पष्ट किया गया है ।

3. इस बात को ध्यान में रखा जाए और दूसरी विधवा या उसके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित मामले रेल बोर्ड को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

4. कृपया पावती सूचना दें ।

हस्ता/-
(पी.एल.एन. शर्मा)
उप निदेशक, स्था.(एन.)
रेल बोर्ड"

5. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :-

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में ऐसे विवाह से, जो कि धारा 11 के उपबंधों के अधीन अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाले बालक के धर्मजत्व को माना गया है ;

(ii) रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा नमिता गोलदार **बनाम** भारत संघ (2010) 1 कलकत्ता ला जर्नल 464 वाले मामले में अपास्त कर दिया गया है ; और

(iii) रामेश्वरी देवी **बनाम** बिहार राज्य (2000) 2 एस. सी. सी. 431 वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में किसी मृत कर्मचारी के पेंशनिक फायदों पर उसके कुटुम्ब की हकदारी को इस तथ्य के होते हुए भी कायम रखा गया है कि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान दूसरा विवाह कर लिया था ।

6. उच्च न्यायालय ने, प्रमुख रूप से उपर्युक्त आधार पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की राय से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाया और यह मत व्यक्त किया कि रेल प्राधिकारियों को जो निदेश दिया गया था वह यह था कि प्रत्यर्थी के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मामले पर उसके गुणागुण के आधार पर ही विचार किया जाए ।

7. विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री अमन लेखी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए इस प्रकार दलील दी कि :-

(i) अनुकंपा नियुक्ति नियोजन या भर्ती का कोई अनुकल्पी स्रोत नहीं है ;

(ii) अनुकंपा नियुक्ति वंशागत अधिकार का विषय नहीं है और यह उन वर्तमान नियमों या स्कीमों पर निर्भर करती है जिनके अधीन ऐसे फायदों या सुविधाओं की परिकल्पना की जाती है ;

(iii) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(3) में यह प्रकल्पित है कि ऐसे विवाह से, जो कि धारा 11 के अधीन शून्य है, जन्म लेने वाले बालक का माता-पिता की संपत्ति की बाबत ही दावा है और इसके अलावा उसका कुछ भी दावा नहीं होता है ;

(iv) **रामेश्वरी देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय प्रभेदनीय है चूंकि यह सुस्थापित है कि पेंशन किसी कर्मचारी की पूर्व सेवा के परिणामस्वरूप अधिकार-स्वरूप होती है और इसलिए यह संपत्ति की प्रकृति की हकदारी का प्रतिनिधित्व करती है ; और

(v) दूसरी ओर, मृत कर्मचारी के वारिसों का अनुकंपा नियुक्ति

का कोई अधिकार नहीं होता है । अतः, संघ सरकार या उसके अभिकरण और विभाग, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी नीति तैयार करते समय यह अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है कि ऐसी सुविधा दूसरा विवाह करने वाले पति या पत्नी को अथवा उस मामले में ऐसी संतान को, उपलब्ध नहीं होगी, जो उस विवाह से जन्म लेती है । राज्य द्विविवाह को हतोत्साहित करने की अपनी नीति के विधिसम्मत उपाय के रूप में ऐसा कर सकता है ।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल श्री अर्जुन सिंह भाटी और श्री अपूर्व पराशर ने यह दलील दी थी कि :–

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित है कि वे बालक, जिनका जन्म किसी ऐसे विवाह के फलस्वरूप होता है, जो कि अकृत और शून्य है, धर्मज हैं ;

(ii) जबकि संघ सरकार भलीभांति यह प्राख्यान कर सकती है कि दूसरा पति/पत्नी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है, किन्तु किसी दूसरे विवाह से जन्म लेने वाली संतान को, यदि उनका धर्मजत्व विधि के अनुसार प्रवर्तित होता है, ऐसी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता ; और

(iii) **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय द्वारा रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को अभिखंडित कर दिया गया था । उस विनिश्चय को चुनौती नहीं दी गई थी और वास्तव में उसे कार्यान्वित कर दिया गया था । अतः, पश्चात्वर्ती परिपत्र, जो कि रेल बोर्ड द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2013 को जारी किया गया था, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती परिपत्र पर जोर दिया गया था, **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय के प्रतिकूल है, जो कि तारीख 1 फरवरी, 2010 को किया गया था ।

9. परस्पर-विरोधी दलीलें हमारे विचारार्थ उद्भूत होती हैं ।

10. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में

कतिपय मूलभूत सिद्धांतों को इस न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा स्थापित कर दिया गया है । **शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)** बनाम **पुष्पेन्द्र कुमार**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के उद्देश्य पर विचार-विमर्श करते समय इस प्रकार मत व्यक्त किया था :–

> "8. अनुकंपा के आधार पर नियोजन प्रदान करने से संबंधित उपबंध में अंतर्निहित उद्देश्य मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को भरणपोषण करने वाले ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जो कुटुम्ब को दरिद्रता और जीविका के किसी साधन के बिना छोड़ जाता है, उत्पन्न अकस्मात् संकट से उभरने में समर्थ बनाना है । विशुद्ध मानवीय विचारणाओं के आधार पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक जीविका के किसी साधन की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक कुटुम्ब अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से किसी ऐसे एक व्यक्ति को लाभकर नियुक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध किया जाता है, जो ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र हों ।"

भारतीय स्टेट बैंक बनाम **राज कुमार**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :–

> "8. अब यह सुस्थापित हो चुका है कि अनुकंपा के आधारों पर की जानी वाली नियुक्ति, भर्ती की एक स्रोत नहीं है । दूसरी ओर, यह इस सामान्य नियम का अपवाद है कि लोक सेवाओं में की जाने वाली भर्ती एक खुले आमंत्रण द्वारा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों का, जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, ऐसी रियायत के माध्यम के सिवाय, जो कि नियोजक द्वारा नियमों के

---

[1] (1998) 5 एस. सी. सी. 192

[2] (2010) 11 एस. सी. सी. 661.

अधीन या किसी पृथक् स्कीम द्वारा मृतक के कुटुम्ब को अकस्मात् वित्तीय परेशानी से निपटने में समर्थ बनाने के लिए प्रदान की जा सकती है, नियोजन पर कोई विशेष दावा या अधिकार नहीं होता है । अतः, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा नियोजक द्वारा ऐसे नियोजन के लिए विरचित स्कीम में ही पाया जा सकता है और ऐसी स्कीम के बाहर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है । किसी स्कीम के अधीन कोई नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है यदि वह स्कीम प्रवर्तन में हो और ऐसी नियुक्ति स्कीम को उत्सादित/वापस लिए जाने के पश्चात् नहीं की जा सकती है । इसलिए इसका परिणाम यह निकलता है कि जब किसी स्कीम को उत्सादित कर दिया जाता है तब उस स्कीम के अधीन नियुक्ति की ईप्सा करने संबंधी कोई भी लंबित आवेदन जब तक उसे व्यावृत्त न किया गया हो, अस्तित्व में नहीं रहेगा । मात्र इस तथ्य के आधार पर कि कोई आवेदन तब किया गया था जब स्कीम प्रवर्तन में थी, अपने आप में आवेदन के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होगा ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

वी. शिवमूर्ति बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया था :–

"18. (क) केवल वंश पर आधारित अनुकंपा नियुक्ति अननुज्ञेय है । लोक सेवा में नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को ध्यान में रखते हुए, यथार्थतः आवेदनों के खुले आमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर की जानी चाहिएं । यद्यपि नियुक्ति की कोई अन्य पद्धति अनुज्ञेय नहीं है तथापि, अनुकंपा के आधारों पर की जाने वाली नियुक्तियां उक्त सामान्य नियम का एक सुमान्य अपवाद है जो कि कतिपय आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए न्याय के हित में विरचित किया गया है । ...

---

[1] (2008) 13 एस. सी. सी. 730.

(ग) अनुकंपा नियुक्ति का तब तक न तो दावा किया जा सकता है और न ही वह प्रदान की जा सकती है जब तक कि उस सेवा को शासित करने वाले नियमों में ऐसी नियुक्तियां अनुज्ञात न हों । ऐसी नियुक्तियां यथार्थ रूप से ऐसी नियुक्तियों को शासित करने वाली स्कीम के अनुसार और विद्यमान रिक्तियों पर ही होंगी ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

11. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की नीति सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आधारित है । किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब वित्तीय परेशानी और आवश्यकता की स्थिति में आ जाता है । अनुकंपा नियुक्ति, उस परेशानी का शमन करने के लिए आशयित है जो मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की समयपूर्व मृत्यु होने के कारण झेलनी पड़ती है । दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति मात्र पितृत्व या वंश पर आधारित नहीं होती है क्योंकि लोक नियोजन सदैव संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीकृत अवसर की समानता से संगत होना चाहिए । अतः, इससे पूर्व कि किसी मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर जोर दिया जाए या राज्य द्वारा वह नियुक्ति प्रदान की जाए, नियोजक के पास ऐसे नियम या ऐसी कोई स्कीम अवश्य होनी चाहिए जिसमें ऐसी नियुक्ति प्रकल्पित हो । इसी अर्थ में यह विधि का एक अतिसामान्य सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है । जहां अनुकंपा नियुक्ति की कोई स्कीम हो वहां भी नियोजन संबंधी आवेदन पर केवल नियमों या स्कीम की शर्तों के अनुसार और उन्हें पूरा करने के अधीन रहते हुए विचार किया जा सकता है । विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा भारत संघ की ओर से जिस दलील पर जोर दिया गया है वह इस बात पर आधारित है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है । इस सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं है किन्तु जहां इसकी परिकल्पना करने वाली स्कीम या नियम विद्यमान हैं वहां वह उन उपबंधों के अनुसार विचार में ली जाने वाली केवल एक हकदारी है ।

12. तथापि, प्रस्तुत मामले में वास्तविक मुद्दा यह है कि वह शर्त, जो रेल बोर्ड के परिपत्र द्वारा अधिरोपित की गई है, जिसके अधीन अनुकंपा नियुक्ति मृत कर्मचारी के दूसरे विवाह से जन्म लेने वाली संतान को प्रदान नहीं की जा सकती है (सिवाय वहां जहां कि प्रशासन द्वारा स्वीय विधि, आदि को विचार में लेते हुए विवाह अनुज्ञात किया गया था), ऋजुता और समान व्यवहार की मूलभूत धारणाओं के अनुरूप है जिससे कि वह संविधान के अनुच्छेद 14 के संगत हो सके । इस प्रश्न का उत्तर देते समय हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के उपबंधों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिसमें निम्न प्रकार उपबंध किया गया है :–

"16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता – (1) इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ हो और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं ।

(2) जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकार का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को, जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता-पिता से भिन्न किसी

व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है, जिसमें कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता-पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता ।"

13. धारा 16 की उपधारा (1) में विधान-मंडल ने यह अनुबंध किया है कि ऐसे किसी विवाह से, जो कि धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाला बालक इस बात को ध्यान में रखे बिना भी धर्मज है कि क्या उसका जन्म 1976 के संशोधनकारी अधिनियम सं. 68 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ है । ऐसे विवाह से, जो कि अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाले किसी बालक की धर्मजता लोक नीति का विषय है जिससे कि ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को अधर्मजता के परिणामों की पीड़ा से संरक्षित किया जा सके । अतः, यद्यपि कोई विवाह अकृत और शून्य हो सकता है तथापि, ऐसे विवाह से जन्म लेने वाला बालक धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा धर्मज माना जाता है । धारा 5 के खंड (i) के साथ पठित धारा 11 के अधीन वह एक आधार जिस पर किसी विवाह को अकृत और शून्य माना जाता है, यह है कि विवाह तब किया गया है जब विवाह के समय पक्षकारों में से एक पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था/थी । अतः, किसी हिन्दू द्वारा प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान किया गया दूसरा विवाह अकृत और शून्य होता है । तथापि, विधान-मंडल ने ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले किसी बालक की धर्मजता को संरक्षा प्रदान करने के लिए धारा 16(1) को अधिनियमित करके एक पहल की है । तथापि, धारा 16 की उपधारा (3) में यह अनुबंधित है कि ऐसे बालक का, जिसका ऐसे विवाह से जन्म हुआ है जो कि अकृत और शून्य है, केवल माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा और माता-पिता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा ।

14. अनिवार्य रूप से प्रश्न यह है कि क्या कोई नियोजक, जो कि संविधान के भाग 3 के अधीन आता है, अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा फायदा प्रदान करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि अन्य

धर्मज बालकों को उपलब्ध है । निस्संदेह, राज्य अनुकंपा नियुक्ति की नीति तैयार करते समय उन निबंधनों को विहित कर सकता है जिनके आधार पर यह नियुक्ति प्रदान की जा सकती है । तथापि, राज्य स्कीम या नियम बनाते समय ऐसी कोई शर्त अधिकथित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से असंगत है । अनुकंपा नियुक्ति का प्रयोजन मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को अकिंचनता और दरिद्रता से बचाना है । इस परिपत्र का आशय यह है कि ऐसी अकिंचनता के होते हुए भी, जिसका सामना मृत कर्मचारी के दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को करना पड़ सकता है, अनुकंपा नियुक्ति से तब तक इनकार किया जाना है जब तक कि दूसरा विवाह प्रशासन की अनुज्ञा से न हुआ हो । जब हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में ऐसे विवाह से, जो कि तब हुआ हो जब कि पूर्ववर्ती विवाह अस्तित्व में है, जन्म लेने वाले बालक को धर्मज समझा गया है तब राज्य अनुच्छेद 14 के अनुरूप ऐसे बालक को अनुकंपा नियुक्ति के फायदे की ईप्सा करने से अपवर्जित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा । अपवर्जन संबंधी ऐसी शर्त मनमानी और अधिकारातीत है ।

15. भले ही, यदि संकीर्ण वर्गीकरण की कसौटी लागू की जाए, तो भी रेल बोर्ड का परिपत्र धर्मज बालकों के एक वर्ग के बीच दो प्रवर्ग सृजित करता है । यद्यपि किसी दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले बालक को विधि के अधीन धर्मज समझा गया है तथापि, किसी मृत कर्मचारी के प्रथम विवाह से जन्म लेने वाले बालक को ही अनुकंपा नियुक्ति के फायदे का हकदार बनाया गया है । अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित कल्याणकारी प्रयोजन में, जो कि किसी मृत कर्मचारी के कुटुम्ब को अकिंचनता और दरिद्रता से बचाना है, यह अपेक्षित है कि जो अनुबंध या शर्त अधिरोपित की जाती है उसका उस उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध अवश्य होना चाहिए, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । विद्वान् अपर महासालिसिटर ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य, द्विविवाह को हतोत्साहित करने की अपनी नीति के भागस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति का फायदा केवल प्रथम विवाह के पति/पत्नी और संतान तक निर्बंधित करने और पश्चात्वर्ती विवाह के पति/पत्नी और संतान को

उससे वंचित करने के लिए स्वतंत्र है । यहां पर हमारा संबंध दूसरे विवाह से जन्म लेने वाली संतान को अपवर्जित करने से है । ऐसे फायदाग्राहियों के वर्ग को अपवर्जित करके, जिन्हें विधि के प्रवर्तन द्वारा धर्मज समझा गया है, अधिरोपित शर्त उस उद्देश्य के अननुपात में है, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जब विधि द्वारा ऐसे बालकों को धर्मज माना गया है तब उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से अपवर्जित करना अननुज्ञेय होगा । बालक अपने माता-पिता का चयन नहीं करते हैं । यद्यपि किसी शून्य विवाह के किसी बालक को विधि की दृष्टि से धर्मज माना गया है तथापि, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना उनकी गरिमा के लिए घोर आपत्तिजनक है और भेदभाव के विरुद्ध सांविधानिक गारंटी के लिए भी आपत्तिजनक है ।

16. विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी कि **रामेश्वरी देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय मृत कर्मचारी के दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले अप्राप्तवय बालकों को कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के संदर्भ में उद्भूत हुआ था । यह सही है । इस न्यायालय ने उस संदर्भ में यह मत व्यक्त किया था कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में किसी शून्य विवाह के बालकों की कुटुम्ब पेंशन की हकदारी को कायम रखते समय उन्हें धर्मज माना गया है । विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी है कि पेंशन अधिकार-स्वरूप होती है जो कि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा के आधार पर प्रोद्भूत होती है, जिसके द्वारा कर्मचारी को और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके कुटुम्ब को नियमों के अनुसार पेंशन का हकदार बनाया गया है । भले ही हम उस दलील को स्वीकार कर लें तो भी इस न्यायालय द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के आधार पर अधिकथित सिद्धांत प्रस्तुत मामले को भी लागू होना चाहिए । धर्मज बालकों के एक वर्ग को अनुकंपा नियुक्ति की ईप्सा करने से मात्र इस आधार पर कि आवेदक की माता मृत कर्मचारी की पहली पत्नी नहीं थी, अपवर्जित करने से उस उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध होने संबंधी कसौटी

की पूर्ति नहीं होगी, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । यह आपत्तिजनक होगा और इससे मृत कर्मचारी के, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है, कुटुम्ब की गरिमा सुनिश्चित करने का संपूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाएगा । इससे विधिसम्मत फायदाग्राहियों के एक वर्ग – धर्मज संतान के बीच असांविधानिक विभेद उत्पन्न हो जाता है ।

17. हम इस प्रक्रम पर यह उल्लेख कर सकते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले मामले में रेल बोर्ड के तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को उस सीमा तक अभिखंडित कर दिया था जहां तक दूसरी पत्नी की संतान को अनुकंपा के आधारों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से निवारित किया गया था । इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड न्यायपीठ ने **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** बनाम **दिलीप सिंह**[1] वाले मामले में पूर्ववर्ती विनिश्चय की अवेक्षा किए बिना इसके प्रतिकूल मत अपनाया । हम **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (उपर्युक्त) वाले पश्चात्वर्ती विनिश्चय का इस कारण उल्लेख कर सकते हैं कि यह धारा 16 के अर्थान्वयन पर आधारित है जो कि, हमारी राय में, उस उपबंध की भाषा से असंगत है । खंड न्यायपीठ ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16(1) में एक विधिक कल्पना का सृजन किया गया है जिसके द्वारा शून्य विवाह से जन्म लेने वाले बालक को धर्मज ठहराया जाएगा । उक्त अधिनियम की धारा 16(3) में ऐसी विधिक उपधारणा को ऐसे बालक द्वारा अपने माता-पिता की न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखने तक निर्बंधित किया गया है ।
>
> अतः, यह स्पष्ट है कि <u>हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में किसी शून्य विवाह से जन्म लेने वाले किसी बालक को अपने माता-पिता की संपत्ति में या उसके लिए न कि किसी अन्य वस्तु के लिए अधिकारों का दावा करने के लिए उसे हकदार बनाने के प्रयोजनार्थ ही धर्मज उपधारित किया गया है ।</u>
>
> यह स्थापित विधि है कि लोक पद कोई आनुवंशिक संपत्ति

[1] (2013) 3 कलकत्ता ला टाइम्स 379.

नहीं है । भारतीय स्टेट बैंक **बनाम** जसपाल कौर [(2007) 9 एस. सी. सी. 571] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह स्पष्ट है कि लोक पद आनुवंशिक नहीं होता है, इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार आनुवंशिक संपत्ति नहीं है ।

वास्तव में, यह खुली प्रतियोगिता द्वारा नियमित नियुक्ति किए जाने के नियम का एक अपवाद है । अतः, नियमित नियुक्ति के नियम का ऐसा अपवाद एक ऐसा विशेषाधिकार है जो कि नियोजक द्वारा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के निबंधनों के अधीन प्रदान किया जाता है । यह मृतक की संपत्ति नहीं है और न ही यह कोई आनुवंशिक अधिकार है ।

छत्तीसगढ़ राज्य **बनाम** धीरजो कुमार सेंगर [(2009) 13 एस. सी. सी. 600] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है –

> 'अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन यथा-संसूचित समता की सांविधानिक स्कीम का एक अपवाद है ।'

उपर्युक्त कारणों से, हमारी यह राय है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के उपबंध याची की सहायता नहीं करते हैं । <u>ऐसे उपबंध में धर्मजता की विधिक उपधारणा केवल मृतक की संपत्ति तक न कि किसी अन्य वस्तु तक निर्बंधित है ।</u> अतः, विधि के ऐसे उपबंध का प्रयोग नियोजक द्वारा स्कीम के अधीन प्रदान किए जाने वाले अनुकंपा नियुक्ति के विशेषाधिकार को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे किसी भी कल्पनाशक्ति द्वारा मृत कर्मचारी की संपत्ति अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

18. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि धारा 16 में धर्मजता की मान्यता मृतक की संपत्ति तक ही न कि किसी

अन्य प्रयोजनार्थ निर्बंधित है । उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को अनदेखा कर दिया है कि धारा 16(1) में ऐसे विवाह से, जो कि अकृत और शून्य है, जन्म लेने वाले बालक को धर्मज माना गया है । तथापि, धारा 16(3) में बालक के अधिकार को केवल माता-पिता की संपत्ति की बाबत निर्बंधित किया गया है । तथापि, धारा 16(3) बालक की धर्मजता के संबंध मे धारा 16 की उपधारा (1) में घोषित सिद्धांत पर किसी भी रीति में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है । हमारा ध्यान **एम. मुथुराज** बनाम **पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु**[1] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें यही स्थिति अपनाई गई है । हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले किसी बालक को रेल बोर्ड के परिपत्र के निबंधनों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति की ईप्सा करने से अपवर्जित करना अधिकारातीत है । मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने **भारत संघ** बनाम **एम. करुमबाई**[2] वाले मामले में तथा **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत का अनुसरण किया है । खंड न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका (2017 की डायरी सं. 27352 से उद्भूत होने वाली विशेष इजाजत याचिका) इस न्यायालय द्वारा तारीख 18 सितम्बर, 2017 को खारिज कर दी गई थी ।

19. तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह प्रश्न कि किसी विशेष मामले में, आवेदक स्कीम के सभी अनुबंधों को, जिनके अंतर्गत वित्तीय आवश्यकता और अन्य अपेक्षाएं भी हैं, पूरा करता है अथवा नहीं, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनका विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाएगा ।

20. अंततः, प्रत्यर्थी की ओर से जिस दलील पर जोर दिया गया है, उस पर विचार करना आवश्यक होगा कि जब एक बार कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले

---

[1] (2016) 5 सी. टी. सी. 50.

[2] 2017 लेबर आई. सी. (एन.ओ.सी. 237) 69.

मामले में तारीख 2 जनवरी, 1992 के परिपत्र को अभिखंडित कर दिया गया है और जिसे स्वीकार कर लिया गया था और जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है तब रेल प्राधिकारी इसके पश्चात् उसी परिपत्र का, जिसका संपूर्ण भारत में बल और प्रभाव है, अवलंब लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं । इस दलील में सार है । अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि रेल बोर्ड की ओर से **नमिता गोलदार** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय के पश्चात् भी, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, तारीख 3 अप्रैल, 2013 को नया परिपत्र जारी करना अनुचित है जिसमें तारीख 2 जनवरी, 1992 के पूर्ववर्ती परिपत्र के निबंधनों को दोहराया गया है ।

21. हम उपर्युक्त कारणों से, इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं । प्राधिकारी, इस निर्णय के निबंधनों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के संबंध में आज से तीन मास के भीतर निर्णय लेंगे । अपील खारिज की जाती है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

2018 की सिविल अपील सं. 12016

[2016 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 34830 से उद्भूत]

22. इजाजत दी जाती है ।

23. 2018 की सहबद्ध सिविल अपील सं. 12015 में आज दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए और चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन दूसरा विवाह किसी भी दशा में अनुज्ञेय है, इस अपील में कोई सार नहीं है । प्राधिकारी विधि के अनुसार इस बात की संवीक्षा करने के हकदार होंगे कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है अथवा नहीं । आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया आज से तीन मास की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी ।

24. तद्नुसार अपील का निपटारा किया जाता है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

ग्रो.